



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



वन विभाग

पत्रांक- 1169 /12-1 देहरादून : दिनांक: 17 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गौरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/149731/2021).

सन्दर्भ :-भारत सरकार का पत्र सं0 -8वी0/यू0सी0पी/06/78/2023/एफ0सी0/1446 दिनांक 15.02.2024।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयोंकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 1298/12-1(2) दिनांक 17.11.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	The User Agency shall submit an undertaking that muck will not be dumped over forest land.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण-पत्र ऑनलाईन पार्ट के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या-50 में संलग्न है।
2	As per DSS analysis of the proposed diversion area, the area calculation comes to 0.04 ha instead of 0.378 ha. State Govt. is required to upload the correct KML.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 सही कर पार्ट के सैक्शन सी0 में अपलोड कर दी गयी है।
3	The SIR of DFO does not contain proposal details. The SIR an DFO is required to be submitted in enclosed format.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि SIR संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-01)
4	Alternative alignments (Three) of road along with KML file and their comparative statements is required to be uploaded.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 सही कर पार्ट के सैक्शन सी0 में अपलोड कर दी गयी है। comparative statements ऑनलाईन पार्ट के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या-49 में संलग्न है।

5	Full KMLfile of read is required to be uploaded.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण लम्बाई की के0एम0एल0 पार्ट के सैक्शन सी0 में अपलोड की दी गयी है।
6	There is total 63 numbers of Quercus lecotricophora (Banj) tree maked to be felled. In this reqard, site insprction report of CCF is required to be submittad.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल द्वारा संस्तुति प्रदान कर दी गयी है। (संलग्नक-02)
7	State Government is requested to submit/ upload the CA scheme along with the KML file.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के मानचित्र एवं सी.ए0 स्कीम संलग्न कर प्रेषित है। सी0ए0 के0एम0एल0 ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-03)

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1169 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

o/c

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1298 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 11/11/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखली मण्डल के मटीला से गैरोली तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० 149731/2024)

संदर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/७८/२०२३/एफ०सी० दिनांक-15.02.2024

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 3179/12-1-2, दिनांक 11.11.2025 द्वारा उपलब्ध
करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।


भवदीय

वन संरक्षक, वन
भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
रजि० सं० 2337
पत्रावली
दिनांक 11/11/25


(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी अल्मोड़ा

आ. का. कर


21/11/25

अभिष्टव

3 NOV 2025

कार्यालय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3179 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 11/11/2025

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं० 149731/2024)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी/०६/७८/२०२३/एफ०सी० दिनांक-15.02.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा प्राप्त कर निम्नवत प्रेषित है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	The user agency shall submit an undertaking that muck will not be dumped over forest land	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र ऑनलाईन पार्ट के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 50 में संलग्न है।
2	As per DSS analysis of the proposal diversion area, the area calculation comes to 0.04 ha instead of 0.378 ha. state Govt. is required to upload the correct KML.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० सही कर पार्ट के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।
3	The SIR of DFO does not contains proposal details. The SIR of DFO is required to be submitted in enclosed format.	संलग्न है।
4	Alternative alignments (Three) of road along with KML file and their comparative statement is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० पार्ट के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है। comparative statement ऑनलाईन पार्ट के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 49 में संलग्न है।
5	Full KML file of road is required to be uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण लम्बाई की के०एम०एल० पार्ट के सैक्शन सी० में अपलोड कर दी गयी है।
6	There is total 63 number fo quercus leucotricophora (Banj) tree maked to be felled. In this regard, site insprction report of CCF is required to be submitted.	वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है व मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ महोदय द्वारा संस्तुति प्रदान कर दी गयी है।

7	State Government is requested to submit/ upload the CA scheme along with the KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य क्षेत्र चयनित कर लिया गया है। सी0ए0 क्षेत्र के मानचित्र एवं सी0ए0 स्कीम संलग्न है। सी0ए0 के0एम0एल0 ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
---	--	--

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 3179 / 12-10 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

अटीला से गैरीली मोटर मार्ग (प्रकार सं. - 149731/2024)

Check list for site inspection by the DFO/ DFO/CF/CCF/APCCF

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	0.378
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	N 29° 35' 46.446" E 79° 30' 55.201"
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	PF
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	→
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc..	-
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	-
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	→
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	N/A
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	-
12	Any dependent persons/families on this land.	-
13	Any displacement of persons proposed.	→
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	→
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability	Entered

	of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Not the part of protected area
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	-
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	-
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Yes
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes enclosed.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	-
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	agreed with the Proposal.

Date- 14/06/2025

Signature-

Name

Designation =

Seal-



(Deepak Singh)

अनायाय वनाधिकारी

खल्खोडा वन प्रभाग अल्मोडा

श्री ६ (ता.)

सैलानक-०२

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

टेलीफैक्स: 05942-236218, E-mail:ccfkum-forest-uk@nic.in

पत्रांक: 1255/12-1 नैनीताल, दिनांक

10/11/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा,
पंजीकृत सं० 2980
पत्रावली सं० 12-1-(2)
दिनांक 14/11/2025

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन के संबंध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/149731/2024।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 932/12-1-2 दिनांक 09.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन के संबंध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/149731/2024 में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों पर आप द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण की आख्या संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं एवं जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग पर नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाती है।

भवदीया,

(डॉ० तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड नैनीताल।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/149731/2021)

निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 26.09.2025 को मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र सं० 810/12-1 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित मटीला से गैरोली मोटर मार्ग का प्रस्तावक विभाग के साथ मोटर मार्ग में प्रभावित हो रहे बॉज के वृक्षों के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा व प्रस्तावक विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता-इं० हर्षित गुप्ता, सहायक अभियन्ता- इं० के०जी० गोस्वामी व खण्डीय अमीन-किशोर भट्ट उपस्थित रहे। स्थल पर प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत किये गये, जिनके अवलोकन के उपरान्त प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रस्तावित संरेखण में किये गये पिलरबंदी के अनुसार स्थलीय निरीक्षण में मौके पर निम्न स्थिति पायी गयी-

1- प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित हो रहे वृक्ष मुख्यतः सिविल व नाप भूमि में है, जिसमें सिविल भूमि में मात्र 06 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जबकि नाप भूमि में 57 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

2- प्रस्तावित मोटर मार्ग में केवल 0.378 है० वन भूमि (सिविल भूमि) प्रभावित हो रही है, जबकि शेष मोटर मार्ग नाप भूमि से होकर प्रस्तावित की गयी है।

3- प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम गैरोली की आबादी लगभग 850 है, जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा फलदार वृक्षों की खेती की जाती है, जिसमें नाशपाती, माल्टा, संतरा, नीबू, खुमानी, अखरोट, आड़ू व अन्य फलों का उत्पादन किया जाता है, जिनको मुख्य बाजार तक विक्रय हेतु ग्रामवासियों द्वारा ले जाने में मोटर मार्ग न होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु संस्तुति की जाती है।


(चन्द्रशेखर जोशी)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रस्ताव का नाम:—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० (प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/149731/2021)।



नानपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजरखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण के सापेक्ष कनारीथौड़ सिविल/पंचायत के खेत संख्या रकवा है०, कुल 0.756 है०, भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों का प्राक्कलन।

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य					
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकॅशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रुट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य	प्रति है०	0.756	1453.00	1098.47
2	क्षेत्र की सफाई	प्रति है०	0.756	1259.00	951.80
4	घेरबाड़ करना चैनलिंग वायर से घेरबाड़ कार्य (193 र०मी० प्रति है०)	प्रति घ०मी०	0.756	359990.00	272152.44
5	पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 832+167 पौध	प्रति पौध	999	15.90	15884.10
6	गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	832	15.80	13145.60
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य 1. कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x35=15750) (साईज 1x0.30x0.30) 2. चाल खाल 2 संख्या (2x6500=13000) (साईज 4x2.5x1.00) कुल योग - 28750	प्रति है०	0.756	28750.00	21735.00
8	निरीक्षण बटिया	प्रति है०	0.756	1046.00	790.78
उप योग					325758.00
9	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० एवं जल संरक्षण विकास विकास एवं अनुरक्षण कार्य 02 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	2%	6515.16
10	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	0.50%	1628.79
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	0.50%	1628.79
14	अन्य आविस्मक व्यय-- 1 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	1%	3257.58
योग प्रथम वर्ष					338788.32
द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण कार्य					
1	गड्डा भरान	प्रति गड्डा	832	2.48	2063.36
2	कन्टूर फर्रे में बीज बुआई	प्रति र०मी०	342	1.50	513.00
3	पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 832+167 पौध	प्रति पौध	999	2.70	2697.30
4	पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1. वाहन द्वारा 50 कि०मी० से लोडिंग व अनलोडिंग सहित 2. सिरबोज़ डुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	999	12.17	12157.83
		प्रति पौध	999	8.16	8151.84
5	पौधा रोपण कार्य	प्रति पौध	832	4.44	3694.08
6	निराई गुडाई प्रथम बार	प्रति पौध	832	1.64	1364.48
7	निराई गुडाई द्वितीय बार	प्रति पौध	832	1.64	1364.48
8	खाद/रसायन	प्रति पौध	832	0.45	374.40
9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568.00 1. 5.0 है० तक वृक्षारोपण -- 20568.00 2. 6.0 है० से 10 है० तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है० से 20 है० तक वृक्षारोपण--	प्रति है०	0.756	20568.00	15549.41
					0.00
					0.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	0.756	318.00	240.41
11	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिंगलिंग-पूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	0.756	26.67	20.16
12	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	0.756	1.50	1.13
उप योग					48191.88
13	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	1%	481.92
14	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	0.50%	240.96
17	अन्य आविस्मक व्यय-- 2 प्रतिशत	प्रति है०	0.756	2%	963.84
18	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्पलीट कार्य	प्रति है०	0.756	1000.00	756.00
योग द्वितीय वर्ष					50634.60
	अनुरक्षण श्रमिक हेतु हट निर्माण	संख्या	1	L.S	500000.00
कुल योग द्वितीय वर्ष					550634.60

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	दर	धनराशि	
तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौधों की कीमत व डुलान का मुल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	प्रति पौध	167	38.93	6501.31
3	निराई गुडाई प्रथम बार	प्रति पौध	832	1.64	1364.48
4	निराई गुडाई द्वितीय बार	प्रति पौध	832	1.64	1364.48
5	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				32794.79
6	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	327.95
7	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	163.97
8	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	655.90
	योग -			-	1147.82
	योग तृतीय वर्ष				33942.61
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	चतुर्थ वर्ष का योग -			-	24389.28
पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग पंचम वर्ष				24389.28
षष्ठम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग षष्ठम वर्ष				24389.28

सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण -- 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग --				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग सप्तम वर्ष				24389.28
अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण -- 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग --				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग अष्टम वर्ष				24389.28
नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण -- 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग --				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग नवम वर्ष				24389.28
दशम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण -- 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण-- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण--	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग --				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग दशम वर्ष				24389.28

एकादश वर्ष अनुरक्षण कार्य


1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग एकादश वर्ष				24389.28

द्वादश वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	प्रति है0	0.756	30852.00	23324.11
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	0.756	318.00	240.41
	उपयोग -				23564.52
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	1%	235.65
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	0.50%	117.82
5	अन्य आविस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	प्रति है0	0.756	2%	471.29
	योग द्वादश वर्ष				24389.28

व्यय सार

प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)	-	-	338788.32
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)	-	-	550634.60
तृतीय वर्ष (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)	-	-	33942.61
चतुर्थ वर्ष (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)	-	-	24389.28
पंचम वर्ष (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)	-	-	24389.28
षष्ठम वर्ष (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)	-	-	24389.28
सप्तम वर्ष (अनुरक्षण पंचम वर्ष)	-	-	24389.28
अष्टम वर्ष (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)	-	-	24389.28
नवम वर्ष (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)	-	-	24389.28
दसम वर्ष (अनुरक्षण अष्टम वर्ष)	-	-	24389.28
एकादस वर्ष (अनुरक्षण नवम वर्ष)	-	-	24389.28
द्वादस वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष)	-	-	24389.28
योग-	-	-	1142869.03
या-	-	-	1142869.00


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीखेत, अल्मोड़ा वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

प्रस्ताव का नाम— जनपद अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र
सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से
गैरोली तक मोटर मार्ग।

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई तहसील स्याल्दे के ग्राम
कनारीथौड़ सिविल की 0.756 है० भूमि स्थलीय आख्या के
अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।





वन क्षेत्र अधिकारी
चीरसी वन क्षेत्र उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग-अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा वन प्रभाग



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग





Legend :-

 Ca Area(0.756 ha) Kanarithor Sivil



सहायक अभियन्ता,
राज्यीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.


अभियन्ता
राज्यीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा


आगाय वनाधिकारी
हिवा वन प्रभाग अल्मोड़ा


वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग



Legend :-

- GPS
- Ca Area(0.756 ha) Kanarithor Sivil

उहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

अधिसायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
जैरोली वन क्षेत्र